मध्य प्रदेश शासन
आनंद विभाग
मंत्रालय
--

क्रमांक 27/रा.आ.स/2016 भोपाल, दिनांक 8 NOV 2016/10/2016

प्रति,

समस्त आयुक्त/कलेक्टर,
मध्य प्रदेश।

विषय:-आनंद उत्सव के आयोजन के संबंध में।

--

राज्य शासन ने आनंद विभाग तथा उसके अन्तर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप में 'राज्य आनंद संस्थान' का गठन किया है। यह विभाग शासकीय तथा अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से ऐसी विभिन्न गतिविधियों का संचालन करेगा जो हमें परिपूर्ण जीवन जीने की कला सिखा सकेंगी। 'आनंद उत्सव' इन्हीं गतिविधियों की श्रृंखला की एक कड़ी है जिसका आयोजन प्रदेश में 14 जनवरी से 21 जनवरी 2017 के बीच पंचायत अथवा 3-4 पंचायतों के समूह स्तर पर किया जावेगा। 'आनंद उत्सव' की रूपरेखा निम्नानुसार होगी:-

(1) <u>उत्सव की रूपरेखा</u>

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत अथवा समूह स्तर, जिसे आगे "चयनित स्थल" कहा जाएगा पर सांस्कृतिक तथा खेलकूद की गतिविधियों का आयोजन एक अथवा दो दिनों के लिये 14 जनवरी 2017 से 21 जनवरी 2017 के बीच आनन्द उत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा । इसके तहत लोक संगीत, नृत्य, गायन, भजन कीर्तन, नाटक आदि तथा खेलकूद की गतिविधियों का आयोजन होगा। यह आयोजन इस प्रकार हो कि सभी आयु वर्ग की महिलाओं एवं पुरूषों को भागीदारी करने का अवसर मिले। जहां

यह आयोजन पंचायतों के समूह स्तर पर होगा वहां भाग लेने वाली पंचायतों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक सांस्कृतिक/खेलकूद का आयोजन किया जाना चाहिए।

(2) <u>आनंद उत्सव के आयोजन की प्रक्रिया -</u>

1. जिला कलेक्टर प्रत्येक विकास खण्ड में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिये संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को नियुक्त करेंगे।

2. अनुविभागीय अधिकारी अपने क्षेत्र की पंचायतों की परिस्थतियों को देखते हुए 3 से 4 पंचायतों के समूह बना सकेंगे जो 'चयनित स्थल' पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह आवश्यक है कि ऐसे स्थल का चयन, समूह की सभी पंचायतों की सहमति से हो।

3. अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों को इकाई के रूप में कार्यक्रम के लिये चुना जा सकता है। अर्थात् उन्हें किसी समूह में शामिल न किया जावे।

4. प्रत्येक कार्यक्रम के आयोजन के लिये रू 15,000/- तक का व्यय किया जा सकेगा । इस संबंध में आवश्यक निर्देश पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी किये जायेंगे।

5. प्रत्येक "चयनित स्थल" पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिये एक उपयुक्त अधिकारी को प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जावेगा। यह अधिकारी किसी भी विभाग से हो सकते हैं परन्तु उनकी इस प्रकार की गतिविधियों में रूचि होनी चाहिए।

6. अनुविभागीय अधिकारी समस्त प्रभारी अधिकारियों को इस विषय पर कार्यक्रम के आयोजन करने के संबंध में संक्षिप्त प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण संबंधी मार्गदर्शिका आपको पृथक से भेजी जा रही है।

7. प्रत्येक कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिये यह आवश्यक है कि भाग लेने वाली पंचायतों से ऐसे युवकों/युवतियों का चयन किया जाए जो रूचि लेकर स्वयं सेवक के रूप में कार्य करने के लिये तैयार हो। यह चयन जितना सही होगा उतना बेहतर आयोजन संभव रहेगा। इनका चयन सरपंच/शिक्षक/पंचायत सचिव/पंचायत में प्रभाव रखने वाले अन्य व्यक्तियों से चर्चा उपरांत किया जाना श्रेयस्कर होगा तथा समूह स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में सभी भाग लेने वाली पंचायतों से ऐसे स्वयं सेवकों का चयन किया जाना चाहिए। प्रत्येक कार्यक्रम के आयोजन के लिये निम्नानुसार आयोजन समिति गठित की जाए:-

1.	**प्रभारी अधिकारी**	**समन्वयक**
2.	पंचायतों के सरपंच	
3.	चयनित स्वयं सेवक (जिनकी संख्या 6 से 8 तक रखी जा सकती है)	
4.	स्थानीय स्तर के अन्य कर्मचारी जिसे अनुविभागीय अधिकारी मनोनीत करे।	

8. विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक अनुविभाग में कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण के लिये एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नानुसार अधिकारी होंगे:-

1.	**अनुविभागीय अधिकारी**	**अध्यक्ष**
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	सदस्य सचिव
3.	प्रभारी अधिकारी समस्त	सदस्य

9. राज्य आनंद संस्थान की वेबसाईट www.anandsansthanmp.in पर स्वयं सेवकों को पंजीकृत करने की व्यवस्था की गई है। यह अपेक्षा है कि जो स्वयं सेवक (वालेंटियर) इस कार्यक्रम के आयोजन में रूचि से भाग लें उन्हें उक्त वेबसाईट पर पंजीकृत

किया जाए ताकि वह विभाग की भविष्य में होने वाली विभिन्न गतिविधियों में प्रभावी भूमिका अदा कर सके।

10. आयोजित कार्यक्रमों के फोटों तथा 20-25 सेकेण्ड की विडियो क्लीपिंग क्लिपिंग आनन्द संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये। फोटो क्लिपिंग के साथ में निम्न जानकारी भी भेजे ताकि यह स्पष्ट हो वह किस कार्यक्रम से संबंधित है।

(अ)	प्रभारी अधिकारी का नाम/पदनाम
(ब)	ग्राम पंचायत/विकास खण्ड/जिला

11. खेलकूद में विजेता तथा अन्य सभी टीम के सभी सदस्यों को परिशिष्ट-1 में संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्र दिये जायेंगे। इन प्रमाणपत्रों को स्थानीय स्तर पर प्रिंट कराकर प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वह कार्यक्रम के तत्काल बाद मुख्य अतिथि से इनका वितरण करा सके। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विधायक/जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष-सदस्य/जनपद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष-संबंधित सरपंच आदि को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाना चाहिए।

12. खेलकूद प्रतियोगिताओं में महिलाओं की जो भी टीम विजेता होगी उन्हें मेडल दिये जायेंगे। प्रत्येक आयोजन में अगर महिला विजेता टीमों के सदस्यों की संख्या 25 मानी जाए तो प्रत्येक विकास खण्ड में औसतन 625 मेडल की आवश्यकता होगी। यह अपेक्षा है कि मेडलों की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर जिला कलेक्टर के द्वारा जनभागीदारी से की जाए। जिलों में कार्यक्रम स्थल पर मेडल उपलब्ध कराना जिला कलेक्टर तथा उनका स्थल पर कार्यक्रम के तत्काल बाद वितरण कराना प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

13. प्रत्येक विकास खण्ड में जिन पंचायत अथवा पंचायतों के समूह के द्वारा उत्कृष्ट कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उसका विस्तृत ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी, जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे। इस प्रतिवेदन में उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिसके आधार पर उस पंचायत/पंचायत समूह का चयन किया गया है। ऐसी पंचायतों की आयोजन समिति को जिला स्तर पर सांसद, प्रभारी मंत्री अथवा उनके द्वारा नामांकित विधायक के द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। यह कार्यक्रम दिनांक 30.1.2017 को मुख्यालय पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा जिला कलेक्टर स्वविवेक से करेंगे तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार अवश्य किया जाए। इस कार्यक्रम के फोटो व क्लिपिंग www.anandsansthanmp.in पर अपलोड किया जाये। ऐसी क्लिपिंग के साथ जिले का नाम स्पष्ट रूप से लेख किया जाए। अगर किसी विकास खण्ड में से एक से अधिक पंचायत/पंचायत समूहों को प्रस्तुत करना आवश्यक समझा जाए तो तदानुसार निर्णय जिला कलेक्टर ले सकेंगे। इस पुरुष्कार समारोह में कार्यक्रम आयोजन से संबंधित प्रभारी अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि तथा स्वयं सेवकों को बुलाया जाए तथा उनके लिए आवश्यक वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाये।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आनंद विभाग

परिशिष्ट -01

आनंद उत्सव

14 से 21 जनवरी, 2017

.....

(प्रतियोगी का नाम) ने ग्राम पंचायत ..... (नाम) में आयोजित आनंद उत्सव में आयोजित ..... (गतिविधि का नाम) में भाग लेकर उसे सफल बनाया तथा उसका आनंद लिया।

कलेक्टर

जिला .....